(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722**

STATUS OF HINDI EDUCATION IN KARNATAKA

Prateek Mali
Research Scholar, Karnatak University, Dharwad

कर्नाटक में हिन्दी शिक्षा की स्थिति

प्रतीक माली

शोधछात्र, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़

ABSTRACT

India is one of the countries in the world where linguistic and cultural diversity exists in an exceptionally rich and extensive form. Numerous languages and dialects are spoken across its states, regions, and communities, reflecting the multifaceted identity of Indian culture. Language is not merely a medium for the exchange of ideas and emotions; it also serves as a carrier of a society's culture, traditions, intellectual heritage, and social consciousness. Recognizing this multilingual character, the Constitution of India has adopted Hindi as the Official Language of the Union while providing for the protection and promotion of all Indian languages. Hindi has played a significant role in strengthening national integration, social harmony, and cultural dialogue. With this objective, Hindi education has been incorporated into both school and higher education systems across various states.

Under the Three-Language Formula recommended by the Kothari Commission, students in Karnataka study Kannada, English, and Hindi. However, since Hindi is generally taught as a third language, it often receives limited instructional time and fewer academic opportunities. Hindi education in schools and higher educational institutions faces several challenges, including inadequate teacher recruitment, a limited curriculum, restricted employment opportunities, and the growing dominance of English.

Despite these challenges, there are considerable prospects for the development of Hindi in Karnataka through the efforts of Hindi promotion organizations, universities, and the implementation of the National Education Policy (NEP) 2020. Digital education and multilingual teaching models can further enhance the effectiveness of Hindi instruction. The integrated development of Hindi and Kannada in Karnataka can contribute significantly to linguistic enrichment, cultural interaction, and the strengthening of national unity.

Keywords: *Hindi education; Karnataka; Three-Language Formula; language education policy; Official Language Hindi; multilingual society; national integration; Indian languages; higher education; National Education Policy (NEP) 2020.*

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722**

सारांश

भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता अत्यंत समृद्ध एवं व्यापक रूप में विद्यमान है। देश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और समुदायों में अनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ प्रचलित हैं, जो भारतीय संस्कृति की बहुरंगी पहचान को अभिव्यक्त करती हैं। भाषा केवल विचारों और भावनाओं के आदान-प्रदान का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, ज्ञान-परंपरा तथा सामाजिक चेतना की संवाहक भी होती है। भारतीय संविधान ने इस बहुभाषिक स्वरूप को सम्मान देते हुए हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है तथा सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समन्वय और सांस्कृतिक संवाद को सुदृढ़ बनाने में हिन्दी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में हिन्दी शिक्षण को विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर स्थान प्रदान किया गया है।

कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कर्नाटक में कन्नड़, अंग्रेजी और हिन्दी का अध्ययन कराया जाता है। हालांकि हिन्दी को प्रायः तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाए जाने के कारण उसे सीमित समय और अवसर मिलते हैं। विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में हिन्दी शिक्षण को शिक्षक नियुक्ति, सीमित पाठ्यक्रम, रोजगार अवसरों की कमी तथा अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसके बावजूद हिन्दी प्रचार संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हिन्दी के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। डिजिटल शिक्षा और बहुभाषिक शिक्षण मॉडल हिन्दी शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कर्नाटक में हिन्दी और कन्नड़ के समन्वित विकास से भाषाई समृद्धि, सांस्कृतिक संवाद और राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: हिन्दी शिक्षण, कर्नाटक, त्रिभाषा सूत्र, भाषा-शिक्षा नीति, राजभाषा हिन्दी, बहुभाषिक समाज, राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीय भाषाएँ, उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति।

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

प्रस्तावना

भारत विश्व के सबसे बड़े बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देशों में से एक है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। भारतीय समाज की विविधता उसकी भाषायी समृद्धि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम भी होती है। भारतीय संविधान ने इस भाषायी विविधता का सम्मान करते हुए हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है तथा सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय तथा विभिन्न भाषायी समुदायों के मध्य संवाद स्थापित करने में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी कारण देश के विभिन्न राज्यों में हिन्दी शिक्षण को विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर स्थान प्रदान किया गया है।

कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक परंपराओं तथा शैक्षिक विकास के लिए जाना जाता है। लगभग 1,91,791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस राज्य ने शिक्षा, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कन्नड़ यहाँ की राज्यभाषा है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार भी है। इसके अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोंकणी तथा अन्य भाषाओं का भी व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। बहुभाषिक सामाजिक संरचना के कारण कर्नाटक में भाषा-शिक्षा का प्रश्न सदैव महत्वपूर्ण रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा के माध्यम और भाषा-नीति को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों की भाषायी परिस्थितियों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964-66) ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। इस सूत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्रदान करना था, ताकि राष्ट्रीय एकता, भाषायी समन्वय और बहुभाषिक दक्षता को बढ़ावा मिल सके। कर्नाटक में भी इस नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कन्नड़ को प्रथम भाषा, अंग्रेजी को द्वितीय भाषा तथा हिन्दी को तृतीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया। यद्यपि इस व्यवस्था ने बहुभाषिक शिक्षा

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

को प्रोत्साहित किया, तथापि हिन्दी शिक्षण की स्थिति और उसके प्रभाव को लेकर समय-समय पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ और विमर्श होते रहे हैं।

वर्तमान समय में वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और रोजगार की बदलती आवश्यकताओं के कारण भाषा-शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। हिन्दी आज देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है तथा व्यापार, पर्यटन, मीडिया, प्रशासन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक जैसे बहुभाषिक राज्य में हिन्दी शिक्षण की स्थिति, उसकी चुनौतियों तथा संभावनाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में कर्नाटक की भाषा-शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन, विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में हिन्दी की वर्तमान स्थिति तथा उससे संबंधित समस्याओं और संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है, जहाँ भाषायी विविधता उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में शिक्षा के माध्यम और भाषा-नीति को लेकर अनेक स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ। राष्ट्रीय एकता, भाषायी समन्वय तथा बहुभाषिक दक्षता को विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964-66) ने त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। इस सूत्र के अनुसार विद्यार्थियों को मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाना था ताकि वे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित कर सकें।

कर्नाटक में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन अन्य राज्यों की तुलना में कुछ भिन्न रूप में हुआ। राज्य में कन्नड़ भाषा को प्रथम भाषा के रूप में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, जबकि अंग्रेजी को द्वितीय भाषा तथा हिन्दी को तृतीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। लंबे समय तक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण छठी कक्षा से प्रारंभ किया जाता रहा, जबकि कन्नड़ और अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभिक कक्षाओं से ही कराया जाता था। परिणामस्वरूप हिन्दी के अध्ययन और अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम समय प्राप्त होता था।

भाषा-अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, पर्याप्त अध्ययन अवधि तथा भाषायी वातावरण आवश्यक होता है। जब किसी भाषा का अध्ययन सीमित समय के लिए कराया जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए उस भाषा में लेखन, वाचन, श्रवण

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

तथा संवाद कौशल विकसित करना कठिन हो जाता है। कर्नाटक में हिन्दी शिक्षण के संदर्भ में यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, जिसके कारण हिन्दी भाषा की प्रभावशीलता और उसके शिक्षण की गुणवत्ता पर समय-समय पर प्रश्न उठते रहे।

इसके अतिरिक्त राज्य की बहुभाषिक संरचना भी भाषा-शिक्षा को प्रभावित करती है। कर्नाटक में कन्नड़ के साथ-साथ उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोंकणी तथा अन्य भाषाएँ भी प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में भाषा-नीति का संतुलन बनाए रखना एक जटिल कार्य है। फिर भी हिन्दी को संपर्क भाषा और राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक विद्यालयों एवं संस्थानों में इसका अध्ययन निरंतर जारी है।

कर्नाटक में हिन्दी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

1. सीमित अध्ययन अवधि

कर्नाटक में हिन्दी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इसकी सीमित अध्ययन अवधि रही है। लंबे समय तक हिन्दी को केवल तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहा, जिसके कारण विद्यार्थियों को भाषा सीखने और उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। भाषा-शिक्षण विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भाषा के प्रभावी अधिगम के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही उसका निरंतर अध्ययन आवश्यक है। सीमित अवधि में केवल परीक्षा-उन्मुख अध्ययन होने से विद्यार्थियों में भाषा के प्रति गहरी समझ विकसित नहीं हो पाती।

2. अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव

वैश्वीकरण, सूचना-प्रौद्योगिकी तथा रोजगार के बदलते स्वरूप के कारण अंग्रेजी भाषा का महत्व लगातार बढ़ा है। अभिभावक और विद्यार्थी अंग्रेजी को रोजगार और उच्च शिक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी मानते हैं। परिणामस्वरूप अनेक विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अंग्रेजी को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रवृत्ति का प्रभाव हिन्दी शिक्षण पर भी पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी और अभिभावक हिन्दी को अपेक्षाकृत कम महत्व देने लगते हैं। इससे हिन्दी के अध्ययन और उसके व्यावहारिक प्रयोग में कमी देखने को मिलती है।

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

3. उच्च शिक्षा में सीमित अवसर

कर्नाटक में विद्यालय स्तर पर हिन्दी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है, किन्तु उच्च शिक्षा स्तर पर हिन्दी विषय के अवसर अपेक्षाकृत सीमित हैं। अनेक सरकारी महाविद्यालयों में हिन्दी विभागों का अभाव है अथवा वहाँ पर्याप्त शिक्षकीय पद उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप हिन्दी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार और शैक्षणिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। यह स्थिति हिन्दी विषय के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को भी प्रभावित करती है।

4. हिन्दी शिक्षकों की व्यावसायिक समस्याएँ

राज्य में अनेक शिक्षक हिन्दी विषय में एम.ए., एम.फिल. तथा पीएच.डी. जैसी उच्च योग्यताएँ प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति, शोध कार्य तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। सरकारी महाविद्यालयों में हिन्दी विषय के सीमित विस्तार के कारण उनकी विशेषज्ञता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। इससे हिन्दी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और युवा पीढ़ी में हिन्दी अध्ययन के प्रति आकर्षण भी कम हो सकता है।

5. भाषा-नीति और व्यवहारिक चुनौतियाँ

कर्नाटक जैसे बहुभाषिक राज्य में भाषा-नीति का निर्माण और उसका प्रभावी क्रियान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्यभाषा कन्नड़ के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता के साथ-साथ अंग्रेजी की वैश्विक उपयोगिता तथा हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। कई बार भाषा संबंधी प्रश्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बन जाते हैं, जिससे भाषा-शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऐसी नीति की आवश्यकता है जो सभी भाषाओं के सम्मान और विकास को सुनिश्चित कर सके।

हिन्दी शिक्षा की संभावनाएँ : यद्यपि हिन्दी शिक्षण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिर भी कर्नाटक में हिन्दी के विकास की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं। राज्य में विभिन्न हिन्दी प्रचार संस्थाएँ, साहित्यिक संगठन, विश्वविद्यालय तथा सांस्कृतिक मंच हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग तथा अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएँ हिन्दी शिक्षण और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

आज के समय में पर्यटन, व्यापार, मीडिया, फिल्म उद्योग, डिजिटल संचार तथा अंतर्राज्यीय संपर्क के विस्तार के कारण हिन्दी का व्यावहारिक महत्व निरंतर बढ़ रहा है। कर्नाटक के अनेक विद्यार्थी रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और राष्ट्रीय स्तर के अवसरों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों से कर्नाटक आने वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करने में भी हिन्दी एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं के अध्ययन और संवर्धन पर विशेष बल दिया है। इस नीति के माध्यम से मातृभाषा आधारित शिक्षा, बहुभाषिकता तथा भारतीय भाषाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। यदि इस नीति के अंतर्गत हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएँ, तो भाषा-शिक्षा का क्षेत्र और अधिक सशक्त बन सकता है। डिजिटल शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, भाषा प्रयोगशालाओं तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सकता है।

इस प्रकार कर्नाटक में हिन्दी शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ होने के बावजूद उसके विकास की संभावनाएँ भी व्यापक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा-नीति, शिक्षण व्यवस्था और सामाजिक दृष्टिकोण के स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएँ, जिससे हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।

उपसंहार

भारत की भाषायी विविधता उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। ऐसी बहुभाषिक व्यवस्था में भाषा-शिक्षा नीति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कर्नाटक जैसे बहुभाषिक राज्य में हिन्दी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि हिन्दी, कन्नड़ और अंग्रेजी के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास निरंतर किया जाता रहा है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में बहुभाषिक दक्षता विकसित करना तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था, किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आई हैं।

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722

कर्नाटक में हिन्दी को तृतीय भाषा के रूप में स्थान मिलने के कारण इसके अध्ययन की अवधि अपेक्षाकृत सीमित रही है। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव, उच्च शिक्षा में हिन्दी विषय के सीमित अवसर, तथा हिन्दी शिक्षकों के लिए रोजगार एवं पदोन्नति की समस्याओं ने हिन्दी शिक्षण के विकास को प्रभावित किया है। यद्यपि इन चुनौतियों के कारण हिन्दी शिक्षा की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी, फिर भी राज्य में हिन्दी के प्रति रुचि और उसकी उपयोगिता बनी हुई है। व्यापार, पर्यटन, मीडिया, प्रशासन, साहित्य तथा अंतर्राज्यीय संपर्क के क्षेत्रों में हिन्दी आज भी एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और बहुभाषिक शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया है। यह नीति हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराती है। यदि कर्नाटक में विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा स्तर पर हिन्दी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, शिक्षकों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो हिन्दी शिक्षा को नई दिशा और गति प्राप्त हो सकती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक में हिन्दी शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ अवश्य हैं, किन्तु संभावनाएँ भी उतनी ही व्यापक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा के प्रश्न को प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से न देखकर समन्वय और सहयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए। कन्नड़, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ परस्पर पूरक हैं और उनका संतुलित विकास ही भारतीय भाषायी एकता तथा सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ बना सकता है। इसी समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कर्नाटक में हिन्दी शिक्षा के विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

भारत सरकार. (1966). शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) प्रतिवेदन, 1964-66. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय।

(IJASSH) 2020, Vol. No. 10, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5150, p-ISSN: 2455-7722**

भारत सरकार. भारतीय संविधान : राजभाषा संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद 343-351). नई दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन विभाग।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा. (विभिन्न अंक). दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार-प्रसार : वार्षिक प्रतिवेदन. चेन्नई : दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा।

कर्नाटक सरकार. कर्नाटक शिक्षा विभाग की भाषा-शिक्षा संबंधी नीतियाँ एवं प्रतिवेदन. बेंगलुरु : शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों द्वारा प्रकाशित शोध-पत्र, शोध-प्रबंध एवं वार्षिक प्रतिवेदन।

References

Government of India. (1966). *Education Commission (Kothari Commission) Report, 1964–1966*. Ministry of Education, New Delhi.

Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education, New Delhi.

Government of India. (n.d.). *The Constitution of India: Provisions relating to the Official Language (Articles 343–351)*. Publication Division, Government of India, New Delhi.

Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. (Various issues). *Promotion and Development of Hindi in South India: Annual Reports*. Chennai: Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha.

Government of Karnataka. (n.d.). *Language Education Policies and Reports of the Karnataka Education Department*. Department of Education, Government of Karnataka, Bengaluru.

Karnataka State Open University and the Departments of Hindi of various universities. (n.d.). *Research papers, theses, dissertations, and annual reports*.